उ0प्र0 शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज।

पत्रांक– 530 /(2025)/अधियाचन/ 2025–26 दिनांक 10-6-2025

शुद्धिपत्र (Corrigendum)

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या– 51 के अन्तर्गत विज्ञापित सहायक आचार्य (बी0एड0) का मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दिनांक 23.05.2025 को संशोधित विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। विज्ञापन प्रकाशन के उपरान्त अर्हता के सम्बन्ध में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा कार्यालय में अपना प्रत्यावेदन प्रेषित किया गया। प्राप्त प्रत्यावेदनों पर सम्यक विचारोपरान्त आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या– 51 सहायक आचार्य (बी0एड0) की शैक्षिक अर्हता को निम्नवत् संशोधित किया जाता है :–

सहायक आचार्य बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु शैक्षिक अर्हता :–

(I) विज्ञान/गणित/वाणिज्य/सामाजिक विज्ञान/मानविकी में न्यूनतम 55% अंकों के साथ परास्नातक उपाधि

एवं

न्यूनतम 55% अंकों के साथ M.Ed. उपाधि

अथवा

विज्ञान/गणित/वाणिज्य/सामाजिक विज्ञान/मानविकी में न्यूनतम 55% अंकों के साथ परास्नातक उपाधि

एवं

न्यूनतम 55% अंकों के साथ शिक्षाशास्त्र विषय में परास्नातक उपाधि एवं न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ B.Ed. या समकक्ष उपाधि

(II) शिक्षाशास्त्र विषय में U.G.C. द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (UGC-NET) उत्तीर्ण

अथवा

शिक्षाशास्त्र विषय में Ph.D. या D.Phil उपाधि धारक ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच०डी० उपाधि प्राप्त करने हेतु न्यूनतम मानक तथा प्रक्रिया) विनियम–2009 के अनुसार पीएच०डी० की उपाधि प्राप्त की है।

नोट:– उ०प्र० शासन द्वारा आरक्षण नियमों से आच्छादित सम्बन्धित वर्ग के अभ्यर्थी को निर्धारित न्यूनतम अंकों में छूट अनुमन्य होगी।

उक्तानुसार सहायक आचार्य (बी0एड0) की शैक्षिक अर्हता को उक्त सीमा तक यथासंशोधित समझा जाय। शेष विज्ञप्ति यथावत रहेगी।

सचिव
उ0प्र0 शिक्षा सेवा चयन आयोग
प्रयागराज।